


7) 9/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
अनु०। वकील वादी का बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। वकील वादी
कावजूद आवाजे दिलवाने के गैर हाजिर
वादी का भी आवाजे दिलवाई गई। वादी
गैर हाजिर। वकील वादी अनु० एवं न
ही किली अन्य वकील का Memo of
Appearance प्रस्तुत हुआ है। ऐसी
स्थिति में वादी का वाद अदम हाजरी
एवं अदम पैरकी में खारीज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुभार
होकर नम्बर स कम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)